FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..........जिला कलक्टर.............मुकाम.....................श्रीगंगानगर.................................

...........हनुमान पुत्र ज्वाना राम वगैरा...........बनाम...........कैलाशचन्द्र उपजिलाधीश रायसिंहनगर.

किस्म मुकदमाः—मुन्तकिली प्रा0 पत्र

प्रकरण सं0ः— 34 / 2017

अभिभाषक प्रार्थीगण—श्री दिनेश छाबड़ा

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख
01—05—2017	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए व 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया हुआ है। वाद पत्र के साथ ही धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दि0 22.03.17 जारी कर तारीख पेशी 25.04.17 व इसके बाद 01.05.17 नियत की गयी और उक्त वादपत्र में अप्रार्थीगण सं0 2 ता 7 जो कि हजारीराम के वारिसान है जो अत्यधिक प्रभावशाली राजनैतिक प्रभाव रखने वाले धनाढय व्यक्ति है जिनका संबंध जिले के सांसद श्री निहालचंद मेघवाल से है और पारिवारिक आना जाना है और अप्रार्थी सं0 2 ता 7 ने इसी राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पीठासीन अधिकारी पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है और इसी प्रभाव के अन्तर्गत प्रार्थीगण के अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी द्वारा सर इहजलास कहा गया कि प्रार्थीगण का कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि में नही बनता है। इसलिए स्थगन आदेश गलत जारी हो गया है जिसे वे निरस्त कर देंगें। जबकि उनके द्वारा काफी निवेदन किया गया कि अभी तो अप्रार्थीगण की तामील नही हुई है और प्रार्थीगण द्वारा तारीख मांगे जाने पर केवलमात्र 6 दिन की तारीख दी गयी और ऐलानिया कहा कि आज नही तो अगली तारीख पर अपना स्थगन निरस्त समझे। उनका आगे कथन है कि उनके न्यायालय में अनेको पत्रावलियां चल रही है जिनमें तीन तीन माह की तारीख पेशीयां दी जा रही है किन्तु उक्त पत्रावली में अनुचित प्रभाव में आकर नजदीक की तारीख पेशी दी जा रही है जिससे न्याय मिलने की संभावना नही है। अप्रार्थी सं0 2 ता 7 के रिश्तेदारो एवं अप्रार्थी सं0 2 ता 4 को प्रार्थीगण ने स्वयं सांसद के साथ उपखण्ड अधिकारी के आवास पर आते जाते देखा है एवं अप्रार्थीगण की ऐलानिया	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

२।।८।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

धमकी कि उनकी बात हो चुकी है स्थगन आदेश निरस्त होकर रहेगा। यदि स्थगन आदेश निरस्त नही हुआ तो उनकी यह भी धमकी दी है कि वे उपखण्ड अधिकारी के यहां आत्मदाह कर लेगी। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए एडमिट किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद सं0 33/2017 मय प्रा0 पत्र संख्या 25/2017 धारा 212 आरटीए को इस आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण सं0 2 ता 7 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है और उनका जिला के सांसद के घर आना जाना है और पीठासीन अधिकारी उनके दबाब में है। इसलिए उन्हे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। जहां तक उपखण्ड अधिकारी पर राजनैतिक दबाब का प्रश्न है यह साधारण प्रकृति का आरोप है जो कभी भी किसी पर लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। अगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश उनके विपरीत होता है तो उसके लिए सक्षम न्यायालय में रेमेडी उपलब्ध है। इसलिए उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रा0 पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

984/12-5-17

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर